संख्या : /XLI-1/16-34/(प्रशि0)/2015 टी0सी0

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक : 13 मई, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु लेखाशीर्षक 2230–03–003–07, मानक मद–25 लघु निर्माण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4697/डीटीईयू/लघुनिर्माण/प्रस्ताव/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नविवरणानुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु लघु निर्माण मद में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित ₹26.67लाख के सापेक्ष ₹23.70लाख{₹20.23लाख सिविल कार्य + ₹03.47लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कार्य)} (रु0 तेईस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अवमुक्त करते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	कार्य की प्रकृति	टी0ए0सी0 द्वारा सिविल कार्यों हेतु संस्तुति (लाख रु0 में)	अधिप्राप्ति नियमावली के तहत संस्तुति (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), देहरादून	गार्ड रूम एवं गेट निर्माण	₹4.04	₹0.21
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), देहरादून	जनरेटर शेड निर्माण	₹4.67	₹0.24
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), देहरादून	पानी की निकासी	₹4.50	₹0.23
4	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), देहरादून	पीने के पानी की व्यवस्था	₹2.41	₹2.55
5	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), देहरादून	छात्रावास की सडक का निर्माण	₹4.61	₹0.24
		योग	**₹20.23**	**₹3.47**
			कुलयोग(स्तम्भ 4 एवं 5)	**₹23.70**

(1) उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय–तीन, निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति में किये गये प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) छोटे कार्यों(पेटी वर्क) तथा लघु कार्यों(माइनर वर्क्स) की आर्थिक सीमा वृद्धि संबंधी शासनादेश संख्या 88/XXVII(3)/कार्य/2005 दिनांक 24.02.2005 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्ये–नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।

(6) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(7) उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा गुणवत्ता का समस्त उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।

(9) आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–16 "आयोजनागत पक्ष" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003– दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मानक मद–25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम मेंwww.cts.uk.gov.inसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी **S1605160071** के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016दिनांक 31मार्च, 2016में निहित दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीयसंख्या **–13(P.)/XXVII(5)/2016, दिनांकः 03 मई, 2016** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 242 (1)/XLI-1/16–34/(प्रशि0)/2015 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हल्द्वानी(नैनीताल)।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी(नैनीताल)।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. मुख्य वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी–नैनीताल।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निरंजनपुर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग।
9. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, प्रथम तल ई–34, नेहरू कालोनी, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनुसचिव।